राजस्थान मानव अधिकार आयोग

त्रैमासिक पत्रिका

A NEWS LETTER OF RAJASTHAN STATE HUMAN RIGHTS COMMISSION

वर्ष-2 अंक : प्रथम वर्ष : 2006-2007 वि.सं. : 2063-2064 बिक्री के लिये नहीं

मुख्यमंत्री द्वारा 'न्यूज लेटर' का विमोचन।

मानवाधिकारों के प्रति जागरुकता बढाई जाये : मुख्यमंत्री

जयपुर। मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे ने आज यहां अपने राजकीय निवास पर राजस्थान मानवाधिकार आयोग द्वारा शीर्षक से प्रकाशित त्रैमासिक पत्रिका के प्रवेशांक का लोकार्पण किया।

इस अवसर पर श्रीमती राजे ने कहा कि आज के परिप्रेक्ष्य में मानवाधिकार एक खास मुद्दा है। जिसके प्रति लोगों में जागरुकता बढाई जानी चाहिये। उन्होंने आशा जताई की मानवाधिकारों की रक्षा के लिये आयोग के प्रयासों के अलावा इसकी कार्य प्रणाली, भावी कार्यक्रमों एवं नये फैसलों की जानकारी इस त्रैमासिक पत्रिका के माध्यम से आमजन को उपलब्ध हो सकेगी। मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति नगेन्द्र कुमार जैन ने इस अवसर पर कहा कि छत्तीसगढ एवं मध्यप्रदेश के बाद राजस्थान में इस तरह की पत्रिका निकालने की पहल की गई है। हमारा मकसद मानवाधिकारों को संरक्षण प्रदान करना है। लोगों को इंसाफ दिलवाने के लिये अनुकूल वातावरण तैयार करना और पीडित को राहत पहुंचाना है। इस दिशा में मानवाधिकार आयोग निरंतर प्रयत्नशील है।

न्यायमूर्ति जैन के अलावा इस अवसर पर आयोग के सदस्य जस्टिस जगतसिंह, धर्मसिंह मीणा, पुखराज सिरवी तथा सचिव गिरिराज सिंह मौजूद थे।

दो शब्द

राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का द्वितीय वर्ष का पहला त्रैमासिक न्यूज लैटर प्रबुद्ध पाठकों के सन्मुख प्रस्तुत है। प्रथम संयुक्तांक का विमोचन माननीय मुख्यमंत्री द्वारा किया गया था। विमोचन के साथ-साथ मुख्यमंत्री महोदया के उद्‌गार थे कि "मानवाधिकार एक खास मुद्दा है, जिसके प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाई जानी चाहिये।"

आयोग आमजन तक मानवाधिकारों की जानकारी पहुंचाने तथा नागरिकों के मानवाधिकारों के हनन को रोकने के लिये प्रयत्नशील है। इसके लिये सभी विभागों से भी यह अपेक्षा रखता है कि उनके अधिकारों की रक्षा करें व अपने दायित्वों का निर्वहन करें।

आयोग का यह प्रयास मानवाधिकार के प्रति जागरूकता बढ़ाने एवं जन-जन तक आयोग के कार्यकलापों की जानकारी देकर चेतना जागृत करने की दिशा में एक और कदम है।

(जस्टिस एन.के. जैन)
अध्यक्ष

माननीय सदस्य जस्टिस जगतसिंह एवं श्री डी.एस. मीणा के साथ मुख्य सचिव श्री अनिल वैश्य का विचार-विमर्श।

चालू तिमाही के दौरान संक्षिप्त में आयोग के महत्वपूर्ण क्रियाकलाप

स्वास्थ्य सुरक्षा

1. आपातकालीन सेवाओं में जीवन रक्षक औषधियां सभी रोगियों को अस्पताल से यथासमय निःशुल्क उपलब्ध कराने के लिये श्री अनिल वैश्य (मुख्य सचिव) के प्रकरण संख्या 06/17/333 में आयोग ने दिनांक 12 मई, 2006 को आदेश पारित कर यह पूछा जाने पर कि आपातकालीन सेवाओं में ऐसी दवाओं को उपलब्ध कराने की क्या प्रक्रिया है व क्या मानदण्ड बनाया हुआ है तथा जून, 2005 से फरवरी, 2006 तक कितने रोगियों को आपातकालीन सेवाओं में संचालित मेडिकल स्टोर से आवश्यक जीवन रक्षक औषधियां उपलब्ध कराई गई? चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने अपनी रिपोर्ट में आयोग को अवगत कराया कि औषधि भण्डार में उपलब्ध जीवन रक्षक औषधियां निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार मांग किये जाने पर निःशुल्क उपलब्ध करा दी जाती है। जून, 2005 से फरवरी, 2006 तक रोगियों को उपलब्ध कराई गई ऐसी दवाइयों का विवरण भी आयोग को प्रेषित किया। राज्य सरकार से रिपोर्ट प्राप्त होने पर यह निर्णय लिया गया कि आयोग द्वारा भी निकट भविष्य में अस्पताल प्रशासन द्वारा की जा रही व्यवस्थाओं का जायजा मौके पर जाकर लिया जायेगा।
2. परिवाद संख्या 02/17/1594 में दिनांक 11 मई, 2006 को पारित कर चिकित्सकों द्वारा रोगियों को अनावश्यक आर्थिक भार डालने से बचाने के लिये कम कीमत की ऐसी जेनरिक दवाइयां, जो ज्यादातर जीवन रक्षा के काम में आती है, (अनुमोदित सूची के अनुसार) लिखने की अपेक्षा की गई।
3. गर्भ में लिंग परीक्षण कराकर 'कन्या भ्रूण हत्या' पर अंकुश रखने के लिये आयोग द्वारा परिवाद संख्या 04/17/257 में दिनांक 16 मई, 2006 को आदेश पारित करते हुए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान से अपेक्षा की गई कि ऐसे मामले पाये जाने पर दोषियों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्यवाही की जाये तथा उनके द्वारा की गई कार्यवाही से आयोग को भी अवगत कराया जाये।
4. आयोग की पहल पर प्राइवेट हॉस्पिटल में गंभीर बीमारी से ग्रस्त रोगी के इलाज पर अपनी आर्थिक हैसियत से अधिक रकम खर्च चुके परिजनों की मजबूरी एवं रोगी की गंभीर स्थिति को मानवीय दृष्टिकोण अपनाकर राज्य के सवाई मानसिंह चिकित्सालय में तुरन्त 'आईसीयू' में वेंटीलेटर उपलब्ध कराकर चिकित्सा मुहैया करवाने एवं पीड़ित की व्यवस्था का निवारण करने के लिये आयोग ने परिवाद संख्या 06/17/1385 में दिनांक 2 जून, 2006 के आदेश में उक्त प्राइवेट हॉस्पिटल एवं एस.एम.एस. हॉस्पिटल के इस मानवीय एवं संवेदनशील कार्यवाही की सराहना की गई।
5. आयोग के निर्देशों पर परिवाद संख्या 05/17/3038 में परियोजना निदेशक, राजस्थान स्टेट एड्स कन्ट्रोल सोसायटी, जयपुर द्वारा एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के तहत यौन रोगों के उपचार एवं नियंत्रण, परिवार स्वास्थ्य जागरण अभियान, रक्त सुरक्षा, स्वैच्छिक परामर्श एवं रक्त जांच केन्द्र, एच.आई.वी./एड्स एवं टी.बी. समन्वय कार्यक्रम, स्कूल एड्स शिक्षा कार्यक्रम, अवसरवादी संक्रमणों हेतु निःशुल्क औषधि वितरण, स्वास्थ्यकर्मियों हेतु बचाव आदि के बारे में की जा रही कार्यवाही की विस्तृत रिपोर्ट मानवाधिकार आयोग के अवलोकनार्थ प्रेषित की गई।

परिवादों एवं व्यथित लोगों को राहत प्रदान करवा

1. मकान मालिक द्वारा किरायेदार के साथ अमानवीय व्यवहार एवं मारपीट करने के मामले में प्रकरण संख्या 06/17/1637 में आयोग द्वारा तुरन्त प्रसंज्ञान लेकर पुलिस प्रशासन को आवश्यक कानूनी कार्यवाही करने के लिये आदेश देकर पीड़ित पक्ष को राहत प्रदान करवाई गई एवं दोषी पक्ष को भी हिदायत दी गई।
2. यह देखने में आया है कि एफ.एस.एल. की रिपोर्ट समय पर प्राप्त नहीं होने के कारण आयोग में विचाराधीन/सजायाफ्ता एवं न्यायिक अभिरक्षा (कस्टोडियल डेथ) में मृत्यु से संबंधित मामले में आवश्यक विलम्ब होता है, जिसका मुख्य कारण स्टॉफ की कमी होना भी पाया गया है। स्टॉफ की पूर्ति के लिये सरकार से अपेक्षा की गई है कि वह अतिशीघ्र वांछित कर्मियों का पदस्थापन करें।
3. आयोग ने सभी जिला कलक्टर व जिला पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिये हैं कि सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों को ध्यान में रखते हुए बाल विवाहों को रोकने की कार्यवाही करें एवं आयोग को सूचित करें।
4. मैला ढोने वालों को रोजगार और शुष्क शौचालय निर्माण निषेध अधिनियम के बावजूद यह प्रथा प्रचलित है। आयोग ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि मैला ढोने की प्रथा को समाप्त करने के लिये क्या प्रभावी कार्यवाही की गई है? तथ्यात्मक रिपोर्ट आयोग को प्रेषित करें।
5. महानिदेशक, कारागार, राजस्थान, जयपुर को कहा गया है कि वे यह सुनिश्चित करें कि बंदियों को देय सुविधाओं के साथ-साथ उनके स्वास्थ्य की नियमित जांच आदि की कार्यवाही करें।
6. राज्यों द्वारा बंधुआ मजदूरों को मुक्त कराने और उनके पुनर्वास से संबंधित कार्यवाही व उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 11.11.1997 के दिशा-निर्देशों पर राज्य सरकार द्वारा की गई कार्यवाही की वास्तविक स्थिति।
7. आयोग ने ग्राम सायपुरा (जयपुर) के निवासियों के परिवाद संख्या 04/17/2016 में दिनांक 24.04.2006 को राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, जयपुर एवं जयपुर नगर निगम, जयपुर को निर्देश दिये कि ग्रामवासियों के स्वास्थ्य एवं पर्यावरण की सुरक्षा के लिये ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित कर चालू करने के बाद ही कारकस प्लांट चालू किया जाये। अन्यथा दोनों विभाग सीधे तौर पर जिम्मेदार होंगे। इस संबंध में की गई कार्यवाही से आयोग को भी सूचित कराने हेतु कहा गया।
8. आयोग ने परिवाद संख्या 01/08/356 एवं 03/17/2423 में अंध विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्रों की आँखों का पीरिडिकल चैक-अप व निःशुल्क उपचार के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या 679/03 में दिये गये निर्देशों के अनुरूप समय-समय पर विभागों द्वारा संबंधित अधिकारियों से रिपोर्ट लेने हेतु कहा, जिससे न्यायालय की अवमानना से बचा जा सके।

पुलिस थानों का निरीक्षण

1. आयोग द्वारा पाली जिले के सैंदड़ा, जोधपुर आदि पुलिस थानों का निरीक्षण किया गया। इसके अलावा परिवाद संख्या 05/17/369 में दिये गये आदेशों की पालना में जयपुर शहर के गलतागेट, ट्रांसपोर्ट नगर, रामगंज थानों का आकस्मिक निरीक्षण कर 'डी.के. बसु' प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों की जानकारी प्राप्त की एवं आवश्यक सुझाव दिये गये।

'पुलिसकर्मी कर्तव्य के प्रति सजग रहें'

नगर संवाददाता

जोधपुर, 31 मई। राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्य व पूर्व महानिरीक्षक पुलिस पुखराज सीरवी ने कहा कि पुलिस कर्मी अपने कर्तव्यों के प्रति सजग रहें। उन्होंने पुलिस कर्मियों का आम जन की भावनाओं के प्रति संवेदनशील रह काम करने का आह्वान भी किया। वे बुधवार को राजस्थान पुलिस ट्रेनिंग सेंटर प्रशिक्षण केंद्र परिसर में 1257 नव आगंतुक महिला व पुरुष कांस्टेबल्स को संबोधित कर रहे थे। सीरवी ने कहा कि अधिकार का उपयोग सिर्फ कानून की रक्षा व जनहित में किया जाना चाहिए। उन्होंने मानव अधिकार व पुलिस से जनता को अपेक्षाओं के बारे में बताया। सीरवी ने इस मौके मानवाधिकार आयोग की कार्यप्रणाली के बारे में जानकारी दी और गरीब व अबला की सुनवाई तुरंत करने पर जोर दिया। आरपीटीसी के महानिरीक्षक गोविन्दनारायण शर्मा ने इस अवसर पर राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने सीरवी से अपील की कि पुलिस कर्मियों से भी आए दिन अत्याचार होते हैं, इन पर चर्चा होनी चाहिए। इससे पूर्व कमांडेण्ट भगवतसिंह ने भी विचार प्रकट किए। कमांडेण्ट चूनाराम ने आभार बताया।

नव आगंतुक महिला व पुरुष कांस्टेबल्स की सभा

राज्य मानवाधिकार आयोग को समाचार पत्रों का रचनात्मक सहयोग।

आर.पी.टी.एस. जोधपुर में जवानों को सम्बोधित करते श्री पुखराज सीरवी, श्री चूनाराम-कमाण्डेण्ट, श्री भगवत सिंह-आई.जी., श्री गोविन्दनारायण शर्मा।

मानवाधिकार आयोग का विद्युत वितरण निगम को नोटिस

अव्यवस्थित ट्रांसफार्मर एवं लटकते तारों पर प्रसंज्ञान

पाबटा, 12 जून (निसं)। राजस्थान के कस्बा एवं ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा जगह-जगह लगाए गए खतरनाक स्थिति में ट्रांसफार्मरों एवं हाई पॉवर लाइनों, घरेलू उपयोग की लाइनों के झूलते तारों की दुर्दशा को लेकर मानवाधिकार आयोग में एक मामला दो माह पूर्व पाबटा के 'मातृछाया संस्थान' के सचिव नित्येन्द्र मानव ने दायर किया था।

नित्येन्द्र मानव ने न्यायमूर्ति एच.के. जैन के समक्ष प्रस्तुत होकर कोटपूतली, शाहपुरा, बिराटनगर उपखंडों के विभिन्न स्थानों पर मौत का सबब बने खतरनाक स्थिति में लगे ट्रांसफार्मरों के लगभग 150 फोटो सहित जनहित याचिका दायर कर, जनहानि एवं पशुधन हानि को रुकवाने की गुहार की थी। मानव ने बाद में उल्लेख करते हुए बताया कि शहरी क्षेत्रों में तो विद्युत वितरण कम्पनियां सालाना रख-रखाव के दौरान लटकते तारों को ठीक कर देती हैं। विद्युत व्यवस्था के लिए लगाए जाने वाले ट्रांसफार्मर भी सुरक्षित तरीके से लगाए जाते हैं, लेकिन इसके बिलकुल विपरीत ग्रामीण क्षेत्रों में ट्रांसफार्मर सार्वजनिक स्थानों, खेतों में ऊंचाई पर नहीं लगाये, जिससे आए दिन मवेशियों के चिपककर मरने एवं जनहानि के मामले होते रहते हैं। क्षेत्रों से संबंधित विद्युत कार्यालय इस ओर ध्यान नहीं देते।

मानवाधिकार आयोग ने जनहित में इस प्रकरण का प्रसंज्ञान लेते हुए बिजली कम्पनियों से जवाब मांगा है।

विशेष

सेमीनार में बलात्कार, अपहरण, कन्याओं को बेचना, शिशु हत्या, भ्रूण हत्या जैसे अपराध पर चर्चा

समानता और गरिमा से जीने का अधिकार सभी को

जयपुर, 26 मई। प्रत्येक व्यक्ति को समानता, स्वतंत्रता और गरिमापूर्ण तरीके से जीने का अधिकार है, जो भारतीय संविधान के भाग तीन में मूलभूत अधिकारों में वर्णित है, यह कहना है राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष एन.के.जैन का। वह शुक्रवार को घरेलू कार्य करने वाले बच्चों के लिए 'हम भी बच्चे हैं' परियोजना पर आयोजित राज्य स्तरीय सेमीनार को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने बताया कि गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए न्यायालय भी उसको मान्यता देता है। इसके अलावा अन्तर्राष्ट्रीय समझौते के फलस्वरूप संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने भी इसे स्वीकार किया है और यह देश की न्यायालय की ओर से प्रवर्तनीय है।

उन्होंने बताया कि बच्चों को देश का भविष्य कहा गया है। भावी नागरिक होने के नाते उन पर देश का भविष्य टिका होता है, लेकिन फिर भी उनके संतुलित विकास के मार्ग में अनेक बाधाएं व रुकावटें निरन्तर बनी रहती हैं। उनके मानवाधिकार में सबसे बड़ी रुकावट और समस्या भीख मांगने की प्रवृति व बाल श्रम है। बाल श्रम के साथ बच्चों में अशिक्षा, कुपोषण, विकास की कमी, बीमारियां भी शामिल हैं और इसी कारण बच्चों के विरुद्ध छोटे अपराधों के साथ बड़े अपराध होते हैं, जिनमें बलात्कार, अपहरण, कन्याओं को बेचना, शिशु हत्या, भ्रूण हत्या, बाल विवाह जैसे अपराध भी शामिल हैं।

उन्होंने कहा कि गरीब बच्चों का किसी भी तरह से शोषण न हो और कैरियर एजेन्ट उसका लाभ न लें, इसके लिए सरकार की तरफ से कानून बनाया जाना जरूरी है। माता-पिता को भी जिम्मेदारी रहे कि वे थोड़े से लाभ के लिए बच्चों को घरेलू और अन्य काम में न भेजें। इसके साथ ही काम करने वाले बच्चों और मालिकों की लालची प्रवृति को रोकना होगा।

उन्होंने कहा कि बच्चों के लिए घरेलू काम कराने के साथ-साथ अन्य कार्यों के संबंध में बहुत से कानून बने हुए हैं, लेकिन वह किन्हीं कारणों से क्रियान्वित नहीं हो रहे हैं। सिर्फ कानून बनाने से समस्या का हल नहीं होगा, जब तक कि राजनीतिक और प्रशासनिक इच्छाशक्ति, माता-पिता व हम सभी का सहयोग नहीं होगा। इस अवसर पर बाल श्रम परियोजना अधिकारी जौवराज सिंह ने कहा कि यह एक सच्चाई है कि आज हर जगह छोटे बच्चे हमें काम करते हुए दिख जाएंगे। घरेलू बच्चों के क्या-क्या अधिकार हैं यह हम उन्हें दिलवा सकते हैं, इसके लिए लोगों को जागरूक करना होगा। इस समस्या से निजात पाने के लिए सबको मिलकर एक आचार संहिता बनाकर उसे क्रियान्वित करने की जरूरत है। इसके लिए धीरे-धीरे ही प्रयास किए जा सकते हैं।

सेव द चिल्ड्रन (यू.के.) की कार्यक्रम समन्वयक नीतू साही ने कहा कि इस क्षेत्र में बहुत अधिक जागरूकता पैदा करने की आवश्यकता है। हम बच्चे हैं परियोजना से जुड़े धर्मेन्द्र चतुर्वेदी ने बताया कि इसकी शुरुआत जुलाई, 05 में हुई है। इसमें 34 स्कूलों को शामिल किया गया है, जिससे स्कूली बच्चों, शिक्षकों में उनके प्रति संवेदनशीलता जागृत हो। उन्हें यह बात समझ में आए कि दूसरे बच्चों के भी वही अधिकार हैं, जो उनके बच्चों के हैं।

चालू तिमाही के दौरान संक्षिप्त में आयोग के महत्वपूर्ण क्रियाकलाप

स्वास्थ्य सुरक्षा

1. आपातकालीन सेवाओं में जीवन रक्षक औषधियां सभी रोगियों को अस्पताल से यथासमय निःशुल्क उपलब्ध कराने के लिये श्री अनिल वैश्य (मुख्य सचिव) के प्रकरण संख्या 06/17/333 में आयोग ने दिनांक 12 मई, 2006 को आदेश पारित कर यह पूछा जाने पर कि आपातकालीन सेवाओं में ऐसी दवाओं को उपलब्ध कराने की क्या प्रक्रिया है व क्या मानदण्ड बनाया हुआ है तथा जून, 2005 से फरवरी, 2006 तक कितने रोगियों को आपातकालीन सेवाओं में संचालित मेडिकल स्टोर से आवश्यक जीवन रक्षक औषधियां उपलब्ध कराई गई? चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने अपनी रिपोर्ट में आयोग को अवगत कराया कि औषधि भण्डार में उपलब्ध जीवन रक्षक औषधियां निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार मांग किये जाने पर निःशुल्क उपलब्ध करा दी जाती है। जून, 2005 से फरवरी, 2006 तक रोगियों को उपलब्ध कराई गई ऐसी दवाइयों का विवरण भी आयोग को प्रेषित किया। राज्य सरकार से रिपोर्ट प्राप्त होने पर यह निर्णय लिया गया कि आयोग द्वारा भी निकट भविष्य में अस्पताल प्रशासन द्वारा की जा रही व्यवस्थाओं का जायजा मौके पर जाकर लिया जायेगा।
2. परिवाद संख्या 02/17/1594 में दिनांक 11 मई, 2006 को पारित कर चिकित्सकों द्वारा रोगियों को अनावश्यक आर्थिक भार डालने से बचाने के लिये कम कीमत की ऐसी जेनरिक दवाइयां, जो ज्यादातर जीवन रक्षा के काम में आती है, (अनुमोदित सूची के अनुसार) लिखने की अपेक्षा की गई।
3. गर्भ में लिंग परीक्षण कराकर 'कन्या भ्रूण हत्या' पर अंकुश रखने के लिये आयोग द्वारा परिवाद संख्या 04/17/257 में दिनांक 16 मई, 2006 को आदेश पारित करते हुए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान से अपेक्षा की गई कि ऐसे मामले पाये जाने पर दोषियों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्यवाही की जाये तथा उनके द्वारा की गई कार्यवाही से आयोग को भी अवगत कराया जाये।
4. आयोग की पहल पर प्राइवेट हॉस्पिटल में गंभीर बीमारी से ग्रस्त रोगी के इलाज पर अपनी आर्थिक हैसियत से अधिक रकम खर्च चुके परिजनों की मजबूरी एवं रोगी की गंभीर स्थिति को मानवीय दृष्टिकोण अपनाकर राज्य के सवाई मानसिंह चिकित्सालय में तुरन्त 'आईसीयू' में वेंटीलेटर उपलब्ध कराकर चिकित्सा मुहैया करवाने एवं पीड़ित की व्यवस्था का निवारण करने के लिये आयोग ने परिवाद संख्या 06/17/1385 में दिनांक 2 जून, 2006 के आदेश में उक्त प्राइवेट हॉस्पिटल एवं एस.एम.एस. हॉस्पिटल के इस मानवीय एवं संवेदनशील कार्यवाही की सराहना की गई।
5. आयोग के निर्देशों पर परिवाद संख्या 05/17/3038 में परियोजना निदेशक, राजस्थान स्टेट एड्स कन्ट्रोल सोसायटी, जयपुर द्वारा एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के तहत यौन रोगों के उपचार एवं नियंत्रण, परिवार स्वास्थ्य जागरण अभियान, रक्त सुरक्षा, स्वैच्छिक परामर्श एवं रक्त जांच केन्द्र, एच.आई.वी./एड्स एवं टी.बी. समन्वय कार्यक्रम, स्कूल एड्स शिक्षा कार्यक्रम, अवसरवादी संक्रमणों हेतु निःशुल्क औषधि वितरण, स्वास्थ्यकर्मियों हेतु बचाव आदि के बारे में की जा रही कार्यवाही की विस्तृत रिपोर्ट मानवाधिकार आयोग के अवलोकनार्थ प्रेषित की गई।

परिवादों एवं व्यथित लोगों को राहत प्रदान करना

1. मकान मालिक द्वारा किरायेदार के साथ अमानवीय व्यवहार एवं मारपीट करने के मामले में प्रकरण संख्या 06/17/1637 में आयोग द्वारा तुरन्त प्रसंज्ञान लेकर पुलिस प्रशासन को आवश्यक कानूनी कार्यवाही करने के लिये आदेश देकर पीड़ित पक्ष को राहत प्रदान करवाई गई एवं दोषी पक्ष को भी हिदायत दी गई।
2. यह देखने में आया है कि एफ.एस.एल. की रिपोर्ट समय पर प्राप्त नहीं होने के कारण आयोग में विचाराधीन/सजायाफ्ता एवं न्यायिक अभिरक्षा (कस्टोडियल डेथ) में मृत्यु से संबंधित मामले में आवश्यक विलम्ब होता है, जिसका मुख्य कारण स्टॉफ की कमी होना भी पाया गया है। स्टॉफ की पूर्ति के लिये सरकार से अपेक्षा की गई है कि वह अतिशीघ्र वांछित कर्मियों का पदस्थापन करें।
3. आयोग ने सभी जिला कलक्टर व जिला पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिये हैं कि सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों को ध्यान में रखते हुए बाल विवाहों को रोकने की कार्यवाही करें एवं आयोग को सूचित करें।
4. मैला ढोने वालों को रोजगार और शुष्क शौचालय निर्माण निषेध अधिनियम के बावजूद यह प्रथा प्रचलित है। आयोग ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि मैला ढोने की प्रथा को समाप्त करने के लिये क्या प्रभावी कार्यवाही की गई है? तथ्यात्मक रिपोर्ट आयोग को प्रेषित करें।
5. महानिदेशक, कारागार, राजस्थान, जयपुर को कहा गया है कि वे यह सुनिश्चित करें कि बंदियों को देय सुविधाओं के साथ-साथ उनके स्वास्थ्य की नियमित जांच आदि की कार्यवाही करें।
6. राज्यों द्वारा बंधुआ मजदूरों को मुक्त कराने और उनके पुनर्वास से संबंधित कार्यवाही व उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 11.11.1997 के दिशा-निर्देशों पर राज्य सरकार द्वारा की गई कार्यवाही की वास्तविक स्थिति।
7. आयोग ने ग्राम सायपुरा (जयपुर) के निवासियों के परिवाद संख्या 04/17/2016 में दिनांक 24.04.2006 को राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, जयपुर एवं जयपुर नगर निगम, जयपुर को निर्देश दिये कि ग्रामवासियों के स्वास्थ्य एवं पर्यावरण की सुरक्षा के लिये ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित कर चालू करने के बाद ही कारकस प्लांट चालू किया जाये। अन्यथा दोनों विभाग सीधे तौर पर जिम्मेदार होंगे। इस संबंध में की गई कार्यवाही से आयोग को भी सूचित कराने हेतु कहा गया।
8. आयोग ने परिवाद संख्या 01/08/356 एवं 03/17/2423 में अंध विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्रों की आँखों का पीरिडिकल चैक-अप व निःशुल्क उपचार के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या 679/03 में दिये गये निर्देशों के अनुरूप समय-समय पर विभागों द्वारा संबंधित अधिकारियों से रिपोर्ट लेने हेतु कहा, जिससे न्यायालय की अवमानना से बचा जा सके।

पुलिस थानों का निरीक्षण

1. आयोग द्वारा पाली जिले के सैंदड़ा, जोधपुर आदि पुलिस थानों का निरीक्षण किया गया। इसके अलावा परिवाद संख्या 05/17/369 में दिये गये आदेशों की पालना में जयपुर शहर के गलतागेट, ट्रांसपोर्ट नगर, रामगंज थानों का आकस्मिक निरीक्षण कर 'डी.के. बसु' प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों की जानकारी प्राप्त की एवं आवश्यक सुझाव दिये गये।